निग /2922/II/15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म0प्र0ग्वालियर

निगरानी प्र0क्र0- /2015

रु. 20/-

रामकृष्ण खत्री (मृतक) वारिसान -

श्री अरविन्द पाण्डेय द्वारा आज दिनांक 01.8.15 प्रस्तुत किया गया।

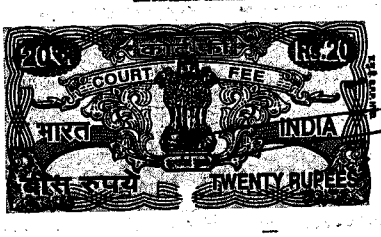

एक. श्रीकृष्ण मेहरोत्रा पिता स्व0रामकृष्ण खत्री उम्र 60 वर्ष, निवासी बरही, तहसील बरही, जिला कटनी म0प्र0———— निगरानीकर्ता

बनाम

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

1. म0प्र0राज्य
2. जुगुलकिशोर कनोडिया तनय स्व0श्री राधाकृष्ण कनोडिया साकिन जय स्तम्भ चौक ढेकहा रीवा जिला रीवाम0प्र0
3. नानकराम) तीनो के पिता स्व0गोपालदास खत्री
4. घनश्यामदास)
5. जवाहर लाल)
6. सुश्री ईश्वरी पुत्री स्व0श्री गोपालदास खत्री

समस्त निवासी बस स्टैण्ड तहसील हुजूर, जिला रीवाम0प्र0

—— गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 सन 1959ई0 विरुद्ध आदेश अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा (श्री के0पी0राही) के रा0प्र0क्र0 37 1/अपील/08-09मे पारित आदेश दिनांक 15.5.2015 जो म0प्र0शासन द्वारा प्रभारी अधिकारी तहसीलदार बि0 रामकृष्ण खत्री एवं अन्य)

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है:-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 15.5.2015 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया तथा ... निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0–2922/दो/15 जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश रामकृष्ण खत्री/म.प्र.शासन एवं जुगलकिशोर	
26–10–2015	प्रकरण में आवेदक अभि0 श्री अरबिन्द पाण्डेय उपस्थित उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक–371/अपील/08–09 में पारित आदेश दिनांक–15.05.15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह कहा गया, कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक को सुनवाई व पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर नही दिया गया और प्रकरण में अनावेदक कमांक 2 को पक्षकार बनाए जाने का आदेश दे दिया गया, जबकि अनावेदक कमांक–2 न तो विचारण न्यायालय में पक्षकार था और न ही प्रथम अपीलीय न्यायालय में । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक–19.5.08 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी, जहां पर मामला उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदाय किया जाकर आदेश हेतु नियत किया गया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया, कि न तो पक्षकार बनाए जाने संबंधी आवेदन की प्रति ही दिलवायी गयी और न ही उस आवेदन पर सुनवाई ही की गयी, ऐसी स्थिति में पक्षकार बनाए जाने का आदेश निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है । इसके अतिरिक्त आवेदक अधिवक्ता द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए गये, जो निगरानी मेमों में अंकित है, जिन्हें यहां दुहराने की आवश्यकता इस प्रकरण में नहीं है, किन्तु उन्हें बिचार में लिया जा रहा है । प्रकरण में अनावेदक कमांक–2 के अधिवक्ता को सुना गया । उनके द्वारा अपने तर्को में वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो पक्षकार बनाए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित है, इसके अतिरिक्त उनके द्वारा उक्त विवादित प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होने से पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण में प्रस्तुत उपरोक्त तर्को एवं निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक–19.5.08 की प्रमाणित प्रति की छाया प्रति का अवलोकन किया गया ।	1

रा.म.फ.पू.ब.(बर्ते)/ मन्दसौर/ब्लाक

R 2922/II/15 रतलाम

अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश दिनांक–15.5.15 के अवलोकन से यह स्पष्ट है, कि प्रकरण में अभी अपील अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक–19.5.2008 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें सि.प्र.सं. के आदेश 1 नियम 10 के तहत पक्षकार बनाए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार कर मात्र अनावेदक कमांक–2 को पक्षकार बनाया गया है, प्रकरण में अभी अपर आयुक्त के स्तर पर गुण दोष पर सुनवाई नहीं की गयी है, गुण–दोष पर सुनवाई हेतु प्रकरण प्रचालित है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त के आदेश दिनांक–15.5.15 से किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से वर्तमान में प्रभावित होने की कोई संभावना परिलक्षित नहीं हो रही है । जहां तक पक्षकार बनाए जाने का प्रश्न है, तो इसमें पक्षकार बनाये जाने के संबंध में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा भी अपनी सहमति दी जाकर कोई विरोध नहीं किया गया है, जो उचित है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उभय पक्ष प्रकरण में अपर आयुक्त के समक्ष अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करें ।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड किया जावे ।

सदस्य

M